निविदा/नीलामी/बोली क्र. 01/2025 दिनांक: 19/02/2025

नीलामी सूचना

विषयः संस्थान व परिसर के विभिन्न क्षेत्र में पड़ी सूखी लकड़ी की नीलामी के संबंध में।

महोदय/महोदया,

भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई (आईआईएम मुंबई) परिसर के विभिन्न क्षेत्र में पड़ी जलौनी/सूखी लकड़ी को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस क्रम में, संस्थान के नियम व शर्ते नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति या फर्म हेतु मान्य होगी।

इस नीलामी में, बोली लगाने के लिए इच्छुक व्यक्ति या फर्म उपरोक्त लकड़ी की नीलामी हेतु सील बन्द लिफाफे में अपनी बोली को लिखकर दिनांक 05/03/2025 तक **भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई** के लघु सम्मेलन कक्ष के सामने रखे टेंडर बॉक्स में डालने का कष्ट करें। सील बंद लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में निम्नलिखित पता लिखा होना आवश्यक है:

(जलौनी व सूखी लकड़ी के टेंडर के संबंध में)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई

नोटः सील बन्द टेंडर दिनांक: 07/03/2025 को अपराह्न 3.00 बजे लघु सम्मेलन कक्ष में खोले जाएंगे।

नीलामी में भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति को रु. 10,000/ (रुपए दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि **भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई** के पक्ष में देय को अग्रिम धनराशि के रूप में टेंडर के साथ संलग्न करना होगा, जो कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वापस की जाएगी।

देय ड्राफ्ट का पूरा विवरण :

बैंक व शाखा का नाम	ड्राफ्ट संख्या व दिनांक	मूल्य

फर्म/व्यक्ति का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष नंबर एवं संलग्न डी. डी. का विवरण	नीलामी की दर जो फर्म/व्यक्ति प्रस्तावित करना चाहता है- (न्यूनतम मूल्य 500/- रूपए प्रति क्विंटल)

इस नीलामी से संबंधित शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. संस्थान द्वारा जलौनी व सूखी लकड़ी का न्यूनतम मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है अगर न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर टेंडर प्राप्त हुयी तो, नीलामी की प्रकिया रद्द कर दी जाएगी। टेंडर को बन्द लिफाफे में रखकर संस्थान के लघु सम्मेलन कक्ष के सामने रखे टेंडर बोक्स में दिनांक 05/03/2025 तक अपराह्न 3.00 बजे तक डालना होगा। नीलामी आवंटन हेतु प्राप्त सील बन्द टेंडर दिनांक 07/03/2025 को अपराह्न 03:00 बजे संस्थान के लघु सम्मेलन कक्ष में फर्मों/व्यक्तियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे जिसमें सम्बन्धित फर्मों एवं व्यक्तियों की उपस्थिति वैकल्पिक है।

2. संस्थान में सबसे पहले कार्यालय परिसर के विभिन्न जगहों पर पड़ी जलौनी व सूखी लकड़ी को उठाना होगा, उसके पश्चात आवासीय क्षेत्र की जलौनी, सूखी लकड़ी ले जानी होगी।

3. नीलामी के बाद लकड़ी को ले जाते समय, किसी भी अन्य वृक्ष की लकड़ी न तो काटी जाएगी, न ही किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाएगी। यदि ठेका लेने वाले व्यक्ति की लापरवाही से ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर समुचित अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

4. लकड़ी ले जाते समय किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा और न ही कोई क्षतिपूर्ति की जाएगी।

5. नीलामी / टेंडर स्वीकृति की सूचना व आदेश पत्र मिलने के 3 दिन के अन्दर, नीलामी टेंडर की धनराशि का भुगतान संस्थान में जमा करना आवश्यक है। साथ ही, 20 से 25 दिनों के अन्दर नीलाम की गई लकड़ी को अपने परिवहन से ले जाना होगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

6. नीलामी की जाने वाली लकड़ी कार्यालय परिसर व आवासीय क्षेत्र व विभिन्न जगहों से सूखी लकड़ी निकाल कर ले जानी होगी।

7. संस्थान की लकड़ी ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्थान के संपदा अनुभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

8. उपरोक्त लकड़ियों के लिए, यदि वास्तविक मात्रा ऊपर उल्लिखित अनुमानित मात्रा (25 टन) से अधिक है, तो अतिरिक्त लकड़ी ले जाने से पहले उस बढ़े हुए वजन के मूल्य की धनराशि जमा करनी होगी। यदि वास्तविक मात्रा ऊपर उल्लिखित अनुमानित मात्रा से कम है, तो उस वजन कमी के मूल्य की धनराशि (वास्तविक मात्रा से उपर उल्लिखित मात्रा 15 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।

9. अगर अनुमानित मात्रा से ऊपर की लकड़ी संस्थान से निकलती है तो, ठेकेदार को अग्रिम के रूप में धनराशि संस्थान के खाते में, ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा, जिसके पश्चात ही लकड़ी संस्थान से बाहर ले जाई जा सकती है।

बैंक खाता का विवरण

Bank Account Holder Name	**IIM MUMBAI MAIN ACCOUNT**
Bank Name and Branch	STATE BANK OF INDIA, VIHAR LAKE BRANCH, PO. IIM MUMBAI, MUMBAI-400087
Current Account Number	10007680096
IFSC Code	SBIN0009055

10. तौल के बाद, जलौनी, सूखी लकड़ी के वास्तविक वजन के अनुसार लेखा अनुभाग, आईआईएम मुंबई द्वारा चालान जारी किया जाएगा और लकड़ी को संस्थान से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि तौल के 10 कार्य दिवसों के भीतर पूरी लकड़ी नहीं उठाई गई तो 500/- रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

11. इसके अलावा, यदि लकड़ी को 25 कार्य दिवसों के भीतर साइट से हटाया/उठाया नहीं जाता है, तो जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और आईआईएम मुंबई में टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, आदेश रद्द कर दिया जाएगा। यदि यह विलम्ब आईआईएम मुंबई की ओर से है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

12. ले जाने वाली लकड़ियों से लदे ट्रक वाहन का वजन हर बार संस्थान परिसर के निकटतम धर्म कांटा पर तौला जाएगा। वाहन का वजन दो बार मापा जाना है. पहला जब वाहन खाली हो और दूसरा जलौनी, सूखी लकड़ी लादने के बाद। धर्म कांटा का जो भी खर्च आएगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। धर्म कांटे की पर्ची संपदा अनुभाग के अधिकारी को देना होगा।

13. लकड़ी कटाई के दौरान, जो भी बिजली का खर्च आएगा उसे मीटर रीडिंग के अनुसार ठेकेदार को संस्थान के खाते में ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

कार्यपालक अभियंता (सिविल)